पर्यावरण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नईदिल्ली–110002

फा. सं०: 266 / डीसीएफ(पी व एम) / वी एस / एस क्यू / नं 31 / 2020–21 / 1643–1646 दिनांक : 29/07/21

सेवा में,

श्रीमान उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विषय : **विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 31 दिनाँक 30.07.2021 के लिए**

महोदय / महोदया,

उपरोक्त उद्धृत विषयानुसार संदर्भ ई मेल दिनाँक 22.07.2021, इस कार्यालय से संबंधित एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

यह विषय माननीय मंत्री (पर्यावरण) / सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमोदित / स्वीकृत है।

भवदीय,

(कौशल किशोर)
उप सचिव, पर्यावरण विभाग

संलग्नः– उत्तर की प्रतियां (संख्या 100)

फा. सं०: 266 / डीसीएफ(पी व एम) / वी एस / एस क्यू / नं 31 / 2020–21 / 1643–1646 दिनांक : 29/07/21

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. सचिव, माननीय मंत्री (पर्यावरण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
2. निजि सचिव, सचिव (पर्यावरण एवं वन्य विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 **(संलग्न 150 प्रश्न–उत्तर की प्रतियां)।**

(कौशल किशोर)
उप सचिव, पर्यावरण विभाग

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

पर्यावरण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छठा तल, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नईदिल्ली-110002

तारांकित प्रश्न संख्या : 31

दिनांक : 30 जुलाई, 2021

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अजय महावर

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार को जानकारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है और दिल्ली एक गैस चैंबर में परिवर्तित हो रही है;	दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण और विशेषकर पराली जलाए जाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर अनेक सुनवाइयों के दौरान कुछ टिप्पणियां की हैं।
ख	विगत सात वर्षों में सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए गए कदम;	दिल्ली शहर अपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण वायु प्रदूषण के संदर्भ में एक जटिल शहरी पर्यावरण है और इसे आस्थगित कण-PM_{10} और $PM_{2.5,}$ दोनों के कारण गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के अंदर और बाहर अनेक ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जो वायु में PM_{10} और $PM_{2.5,}$ में योगदान करते हैं। अधिकांश प्रदूषक तत्वों का सहअस्तित्व है और उनके साझा स्रोत हैं, लेकिन कुल मिलाकर वर्ष 2014 में 324 PPM से घटकर 2021 में 187 पीपीएम पर आ गया है, जबकि पीएम$_{2.5}$ 2014 के 149 PPM से घटकर 2021 में 101 पीपीएम पर आ गया है। वायु प्रदूषण स्तर में सकारात्मक कमी के संदर्भ में सरकार का प्रयास बहुत की महत्वपूर्ण रहा है। I. <u>**सरकार द्वारा किए गए उपाय:**</u> 1. **वायु गुणवत्ता की लगातार वास्तविक समय आधार पर निगरानी :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पिछले दशक के दौरान वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया है, इसके तहत 24 निगरानी केंद्र हैं। इन केंद्रों से उपलब्ध आंकडे (DATA) सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। 2. **शोध अध्ययन:** आईआईटी कानपुर ने 2016 में तथा **The Energy and Resources Institute** (TERI) ने 2018 में, Source Apportionment Study of NCT of Delhi, आईआईटी मद्रास ने 2018 में Source apportionment of ambient particulate matter during winter season, और आयोजना और स्थापत्य स्कूल (SPA) ने 2020 में Carrying capacity of Air Environment, NCT Delhi, नामक अध्ययन किये थे। इन अध्ययनों ने दिल्ली में प्रदूषण के

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

		विभिन्न स्रोतों के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई, जिसका उपयोग प्रदूषण नियंत्रण रणनीति बनाने में किया जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति-(DPCC) वर्ष 2021 में आईआईटी कानपुर के संकाय के साथ दिल्ली में प्रदूषक तत्वों के वास्तविक स्रोत विभाजन के बारे में अध्ययन के लिए समझौता करेगी। 3. **चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (GRAP):** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता के संबंध में एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.12.2016 के आदेश के अनुरूप विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) श्रेणियों के तहत क्रियान्वयन के लिए एक चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना तैयार की गई है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुरूप **GRAP** में ये श्रेणियां हैं-सामान्य और खराब, बहुत खराब, गंभीर और अत्यंत गंभीर या आपात स्थिति। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12.01.2017 के एस.ओ. 118 (ई) द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) के माध्यम से चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना का क्रियान्वयन अधिसूचित किया है। पर्यावरण विभाग और अन्य हितधारकों द्वारा प्रासंगिक/आकस्मिक वायु प्रदूषण स्थितियों के नियंत्रण के लिए चरणबद्ध् कार्रवाई कार्य योजना एक आपात कार्रवाई प्रणाली के रूप में लागू की जा रही है। इस योजना के तहत वायु गुणवत्ता के विभिन्न चरणों के लिए विशेष उपायों का प्रावधान है जैसे- उत्सर्जन और ईंधन गुणवत्ता में सुधार तथा वाहनों के लिए अन्य उपाय, वाहनों की संख्या कम करना, गैर मोटरकृत परिवहन नेटवर्क, पार्किंग नीति, यातायात प्रबंधन, ईंटों के भट्ठे, जेनरेटर सेट नियंत्रण, खुले में कचरा जलाना, खुले में खाना बनाने, सड़कों से उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्यों से उत्पन्न होने वाली धूल सहित प्रदूषण फैलाने वाले बिजली संयंत्रों और उद्योगों को बंद करना। सर्दियों की शुरूआत के दौरान प्रतिवर्ष नियमित रूप से चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना के अत्यंत खराब / गंभीर प्रावधानों को लागू किया जाता है और निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा स्थानीय शहरी निकायों/भू स्वामित्व एजेंसियों और अन्य संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है: - स्थानीय शहरी निकायों द्वारा एंटी स्मॉग गन, यांत्रिक सड़क स्वीपर और सड़क पुनर्निलंबन धूल कम करने के लिए पानी छिड़काव की व्यवस्था की जाती है, - धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कूड़ा-कचरा तथा

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

भू-एजेंसियों द्वारा निर्माण और तोड़-फोड़ गतिविधियों से निकलने वाले कचरे को खुले में जमा करने की रोकथाम के लिए खाली पड़े स्थलों की पहचान करना,

- सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरना,
- धूल की रोकथाम के लिए सड़क किनारे पौधे लगाना और फुटपाथ बनाना,
- उत्सर्जन नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करना,
- खुले में अवशेष जलाने की रोकथाम करना,
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना और यातायाम जाम में कमी लाना इत्यादि।

4. **व्यापक कार्य योजना (CAP):** माननीय हरित अधिकरण ने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित श्री विश्वमोहन के आलेख "102 शहरों में वायु स्वच्छता के लिए विभिन्न समयसीमाओं के साथ 15 अगस्त के आसपास राष्ट्रीय व्यापक कार्य योजना **(NCAP)**" के संदर्भ में ओ.ए. संख्या 681/2018 में, दिनांक 08.10.2018 के अपने आदेश में दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम की रणनीतियों के साथ कार्य योजना तैयार करने के वास्ते वायु गुणवत्ता निगरानी समिति (AQMC) गठित करने का निर्देश दिया। यह कार्ययोजना चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (GRAP) लागू करने का भी प्रावधान करती है। व्यापक कार्य योजना पर्यावरण विभाग तथा अन्य हितधारकों द्वारा लागू की जा रही है और तिमाही प्रगति रपोर्ट नियमित रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सौंपी जाती है।

5. **प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों (Hotspots) के लिए कार्ययोजना:** दिल्ली में स्थानीय स्रोतों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अक्तूबर 2018 के दौरान 13 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, PM_{10} और $PM_{2.5}$, के उच्चतर स्तर के आधार पर, की गई। संबंधित नगर निगमों के उपायुक्तों को अपने कार्यक्षेत्र में सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।

   संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लए अपनाई जाने वाली रणनीतियां इस प्रकार हैं :

   i. संवेदनशील क्षेत्रों की भौगोलिक मैपिंग : वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र के दो किलोमीटर के दायरे में PM_{10} और $PM_{2.5}$ के उच्चस्तर वाले क्षेत्र।

   ii. स्थल पर निरीक्षण : संबंधित एमसीडी के उपायुक्त की निगरानी में स्थानीय अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा प्रगति की समीक्षा के लिए क्षेत्र का दौरा।

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

		iii. गतिविधियों की समीक्षा के लिए टेम्प्लेट तैयार करना : किए गए निरीक्षणों के आधार पर लघु अवधि की कार्ययोजना (Short Term Action Plan) की तैयारी iv. नपटाये जा रहे मुद्दों की श्रेणियां इस प्रकार हैं: - सड़कों और खुले स्थलों से मलबा हटाना - सड़कों और खुले स्थलों से कूड़ा-करकट हटाना - सड़कों की मरम्मत - यातायात जाम वाले स्थलों की पहचान और यहां से भीड़-भाड़ कम करना - यंत्रों की मदद से सड़कों की सफाई - सड़कों पर पानी छिड़काव - जैव कचरा जलाने की रोकथाम के लिए रात्रिकालीन गश्ती (Night patrolling) v. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है और इसे प्रतिदिन दिल्ली राज्य पर्यावरण स्वास्थ्य बुलेटिन के प्रकाशन के जरिए, विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदूषण कम करने की कार्रवाई के साथ मिलाया जाता है। 6. **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** अक्तूबर 2020 में एक अध्यादेश-'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020' द्वारा आयोग का गठन किया गया था। इसका कार्यक्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित विशेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। आयोग को वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इन राज्यों की सरकारों को निर्देश जारी करने का अधिकार सौपा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संदर्भ में सड़क से उड़ने वाली धूल के प्रबंधन, विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण में कमी लाने, सुरक्षित निगरानी और क्रियान्वयन, हरित क्षेत्र लगाने और यातायात प्रबंधन के कार्यों के संदर्भ में जारी निर्देशों का अनुपालन संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। II. **<u>क्षेत्रवार किए गए विशेष उपाय:</u>** 1. **खुले में अवशेष जलाने की रोकथाम** सरकार ने खुले में पत्तियों/कूड़ा-कचरा जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया है। i. राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एसडीएम, तहसीलदारों (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) को नियमों के उल्लंघन पर

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुरूप जुर्माना लगाया जा रहा है।

ii. कूड़ा स्थलों पर लगने वाली आग की रोकथाम: उत्तरी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा भलस्वा, ओखला और गाजीपुर कूड़ा स्थलों पर आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित निगरानी रखी जाती है। पिछले वर्षों में आग लगने की घटनाओं के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि पाई गई है। सभी कूड़ा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे/कंटीले तारों की बाड़ लगाई गई है। आग लगने की घटनाओं की निगरानी के लिए कूड़ा स्थलों के आसपास चौबीसों घंटे अधिकारियों की तैनाती की गई है।

iii. खुले में पत्तियां, कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि जलाने की रोकथाम और निर्माण स्थलों पर धूल-नियंत्रण के उपायों के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की गई।

iv. खुले स्थलों, सड़क किनारे और औद्योगिक क्षेत्रों में जैव अवशिष्ट/कूड़ा-कचरा जलाने की रोकथाम के लिए नगर निगमों, जिला प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा रात्रि गश्ती सहित नियमित निगरानी के लिए 169 टीमें तैनात की गई हैं।

v. जुर्माना लगाना: लोगों को प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम के पार्कों में डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। ओ ए 21/2014 में माननीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में नियमों का उल्लंघन करने की प्रत्येक घटना पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है।

2. पराली जलाने की रोकथाम:

i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दिल्ली की कृषि भूमि पर आईएआरआई द्वारा विकसित जैव डि-कंपोजर का निशुल्क छिड़काव किया गया।

ii. फसल अवशिष्ट जलाने के संबंधित नियमों के उल्लंघन पर एसडीएम द्वारा जुर्माना लगाया गया।

iii. किसानों को केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है।

iv. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने अन्य एनसीआर राज्यों को पराली नष्ट करने के लिए आईएआरआई पूसा प्रौद्योगिकी के उपयोग का परामर्श देने के

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

		लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में याचिका दाखिल की। **3. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण** i. दिल्ली सरकार ने 2018 में हरित बजट पारित किया जिसमें निम्नलिखित के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है: • उद्योगों को पीएनजी उद्योग में में बदलने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा 04.09.2018 को अनुमोदित किया गया। आरंभिक लक्ष्य 1644 औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में बदलने का था जिसे, कुछ इकाइयों के बंद होने के कारण, बाद में संशोधित कर 1636 कर दिया गया। अब तक 1635 औद्योगिक इकाइयां पीएनजी इकाइयों में बदल चुकी हैं। • कोयले से जलने वाली तंदूरों को गैस/पीएनजी आधारित तंदूरों में बदलने का निर्णय मंत्रिमंडल ने 04.09.2018 को अनुमोदित किया। ii. अनुमोदित ईंधन अधिसूचना : डीपीसीसी ने अनुमोदित ईंधन अधिसूचना 29.6.2018 को जारी की। अधिसूचना के अनुसार केवल स्वीकृत ईंधन का ही उपयोग किया जा सकता है। iii. डीपीसीसी उन औद्योगिक इकाईयों पर लगातार नजर रख रहा है जिनसे प्रदूषण फैलने की आशंका है। स्व आकलन के लिए DPCC उद्योगों को ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब तक 149 ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणालियां लगाई जा चुकी है। iv. DPCC ने 02.07.2021 को निर्देश जारी किए कि 125 KVA और उससे अधिक क्षमता वाले सभी परिचालित डीजी सेटों में एक ऐसा उत्सर्जन नियंत्रण डिवाइस/उपकरण रिट्रोफिट किया जाये, जिसकी क्षमता 5 मोड D2 चक्र में कम से कम 70 प्रतिशत निर्दिष्ट आस्थगित कणों को अभिग्रण या capture करने की हो, या फिर नए गैस आधारित जनरेटर नियोजित करते हुए उन्हें गैस आधारित जनरेटरों में परिवर्तित किया जाए। **4. हरित क्षेत्र बढ़ाना और पक्के फुटपाथ बनाना** i. वन विभाग और 20 हरित एजेंसियों/विभागों द्वारा कार्बन अवशोषण के लिए हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाना: दिल्ली के हरित क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह 2001 में 10.18 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 20.59 प्रतिशत हो गया। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार 2019 में यह

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

दायरा 21.88 प्रतिशत हो गया।

ii. दिल्ली में प्रत्येक वर्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम (टीपीपी) के तहत पौध रोपण अभियान चलाया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन और वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और 20 हरित एजेंसियों के सहयोग से यह कार्यक्रम तैयार किया है। 20 एजेंसियों में डीडीए, दिल्ली नगर निगम, शिक्षा विभाग, एनडीपीएल (टाटा पावर डीडीएल), बीएसईएस, डीएमआरसी, डीएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, उत्तरी रेलवे, दिल्ली छावनी बोर्ड, एनडीएमसी, डीटीसी, दिल्ली जल बोर्ड, पर्यावरण विभाग (बागवानी इकाई), स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड शामिल हैं।

iii. वर्ष 2020-21 के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 15 लाख 20 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने राज्य में 31 लाख 50 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है और लगभग 27 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।

iv. प्रत्येक वर्ष व्यापक वृक्षा रोपण अभियान चलाया जाता है इसमें हरित एजेंसियां, ईको-क्लब और रेजिडेंट वेलफेयर एसोशियेशन शामिल हैं। पर्यावरण विभाग आरडब्ल्यूए को पार्कों के सौंदर्यीकरण और रख-रखाव के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराता है। हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने और पक्के फुटपाथों के लिए बहु एजेंसी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

v. वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगमों ने पौधरोपण/हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिनांक 06.05.2021 के निर्देशों पर व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

5. धूल मिट्टी/सड़क पुनर्निलंबन धूल और अन्य उत्सर्जकों की रोकथाम और नियंत्रण:

i. जून 2018 में विभिन्न स्थानीय निकायों को निर्माण स्थलों और सड़क के धूल-धुसरित भागों पर dust suppressants का उपयोग करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

ii. धूल नियंत्रण उपायों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई: सरकार ने निर्माण परियोजना

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

		एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल नियंत्रण उपाय लागू कर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, डीपीसीसी और पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन और नियमों के उल्लंघन पर दंडित किए जाने क लिए नियमित रूप से परियोजनाओं की जांच कर रहे हैं। - तहसीलदारों (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) के साथ एसडीएम, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को नियमों के उल्लंघन पर समुचित कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुरूप जुर्माना लगाया जा रहा है। - स्थानीय निकाय, पीडब्ल्यूडी, डीपीसीसी और परिवहन विभाग के अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन और डेमालिशन अपशिष्ट ले जाने वाले वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। - सभी स्थानीय निकायों और डीडीए से उनकी स्वीकृत भवन निर्माण योजना में धूल नियंत्रण उपाय लागू करने के संदर्भ में लोगों, विशेष रूप से भू-स्वामियों और बिल्डरों को नियमों के बारे में जागरूक करने को कहा गया है। - डीपीसीसी उन निर्माण परियोजनाओं (Built-up area 20 हजार वर्गमीटर से अधिक की) पर जुर्माना लगा रहा है जिन्होंने पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली है iii. शहरी स्थानीय निकाय और पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क किनारे हरित क्षेत्र बढ़ाने और पक्के फुटपाथ बनाने का काम किया जा रहा है ताकि वायु में धूल उत्सर्जन पर अंकुश लगाया जा सके। जल छिडकाव यंत्र (संख्या में 298) तथा यांत्रिक रोड स्वीपर (संख्या में 60) का उपयोग धूल नियंत्रण के लिए स्थानीय निकायों द्वारा किया जा रहा है। iv. मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की निगरानी का काम दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। इस कार्य में आरडब्ल्यूए की भी मदद ली जाती है। सफाई कार्य के समय निर्धारण के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वीपिंग कार्य और धूल नियंत्रण के लिए पानी छिड़काव की निगरानी जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग से की जाती है। अवजल उपचार संयंत्रों (STPs) से उपचारित अवजल का उपयोग छिड़काव के लिए सुनिश्चित किया गया है। प्रतिदिन लगभग 1612 किलोमीटर

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

		सड़कों की सफाई और लगभग 1303 किलोमीटर सड़कों पर पानी छिड़काव का काम किया जाता है। v. रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) संयंत्रों से धूल प्रदूषण : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत सभी आरएमसी संयंत्रों की जांच के लिए टीमों का गठन किया है। vi. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सड़क निर्माण/ रख-रखाव एजेंसियों द्वारा धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया गया है। इन्हें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिनांक 12.02.2021 के निर्देशों के आधार पर विशेष रूप से धूल नियंत्रण उपायों के क्रियान्यवन की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। vii. Dust suppressants और रोड स्वीपिंग मशीन (MRS) के उपयोग, जमा की गई धूल-मिट्टी के निस्तारण, हरित क्षेत्र बढाने सहित धूल प्रबंधन की पायलट परियोजनाएं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिनांक 19.05.2021 के निर्देशों के आधार पर नगर निगमों द्वारा तैयार की गई है। **6. निर्माण और विध्वंस संबंधी गतिविधियां :** i. कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन अपशष्टि डाले जाने की रोकथाम : निर्माण और तोड़-फोड़ मलबे का सही प्रबंधन नहीं होने से इसे सड़क किनारे या खाली पड़े स्थलों पर डाल दिया जाता है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बनता है। शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग इत्यादि अपने संबंधित क्षेत्रों में मलबा जमा करने के अवैध स्थलों का पता लगाने के लिए नियमित रूप से सर्वे करते हैं ताकि इन अवैध स्थलों को हटाया जा सके और मलबे को प्रसंस्करण और उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए पुनःचक्रण केंद्रों तक भेजा जा सके। ii. प्रमुख निर्माण स्थलों (Built up area 20000 वर्ग मीटर से अधिक) के निरीक्षण का काम डीपीसीसी द्वारा और शेष निर्माण स्थलों का निरीक्षण नगर निकायों द्वारा किया जाता है। धूल नियंत्रण से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की भी जांच की जाती है और लोगों में धूल नियंत्रण उपायों के प्रति जागरूकता लाई जाती है। नियमों के अनुपालन में बार-बार विफल रहने पर

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

		समुचित कार्रवाई की जाती है। iii. सभी निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन (Anti Smog Gun) लगाया जाना सुनिश्चित करना : अधिक धूल प्रदूषण की आशंका वाले 60 प्रमुख निर्माण स्थलों की मैपिंग की गई है और नियमित रूप से इनका निरीक्षण किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्थलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। iv. 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक के बिल्टअप एरिया वाली शेष परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू होने से पहले एंटी स्मॉग गन लगाए जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। 56 निर्माणाधीन स्थलों (बिल्टअप एरिया 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक) में एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। v. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की टीमें निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की परियोजना में निर्माण कार्य के दौरान धूल नियंत्रण के आवश्यक उपाय किए गए हैं। vi. DPCC द्वारा निर्माण और विध्वंस गतिविधियों /मिट्टी/कचरा जमा किए जाने / आरएमसी संयंत्र लगाए जाने पर 237 लाख 20 हजार रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है जिसमें से अब तक 144 लाख साठ हजार रुपए वसूले जा चुके हैं। **7. जागरुकता अभियान और जनभागीदारी** i. **रेड लाइट ऑन होने पर वाहन ऑफ करने का अभियान (Red Light on Gaddi off Campaign):** दिल्ली में वाहन उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 100 ट्रैफिक चौराहों पर 2500 सिविल डिफेंस स्वयं सेवक की मदद से पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 21 अक्तूबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक जन जागरूकता अभियान 'रेड लाइट ऑन : गाड़ी ऑफ' का पहला चरण और 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक दूसरा चरण चलाया। यह पहल वाहन चालकों को ईंधन बचाने के साथ वाहन उत्सर्जन कम करने के लिए ईंजन स्विच ऑफ करने की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए की गई। ii. पर्यावरण विभाग ने आरडब्ल्यूए, स्कूल /कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी विभागों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

		जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यशालाओं का आयोजन किया। iii. 14 जून 2017 को 'खुले में किसी भी प्रकार का अवशेष जलाने पर पाबंदी- बड़े बदलाव के लिए एक छोटा कदम' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। iv. 11 जुलाई 2018 और 16 अप्रैल 2019 को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत ध्वनि सीमा सहित ध्वनि और शोर-गुल के बीच का फर्क स्पष्ट किया गया। ध्वनि का स्तर मापने और तनाव संबंधी रोगों और इनकी रोकथाम में आवाज की भूमिका के बारे में एक जानकारी सत्र भी संचालित किया गया। आतिशबाजी के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष ईको-क्लब स्कूलों /कॉलेजों के साथ जागरुकता अभियान चलाया गया। v. 2020-21 के दौरान कोरोना लॉकडाउन/कोविड महामारी संबंधी दिशा-निर्देशों के कारण इको क्लब स्कूलों /कॉलेजों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाएं स्थगित करनी पड़ी, लेकिन स्कूलों के साथ सूचना शिक्षा संचार सामग्री, प्रस्तुतियों और अन्य जानकारियां ऑनलाइन साझा की गई। vi. पर्यावरण विभाग दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपायों के बारे में माननीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में नियमित रूप से सम्मेलनों/परिचर्चाओं का आयोजन करता है। इन चर्चाओं में वायु प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति के बारे में सुझाव देने के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, निजी और सरकारी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इन सम्मेलनों और परिचर्चाओं से दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने में मदद मिली है। इन सम्मेलनों से प्राप्त व्यवहारिक सुझावों को प्रदूषण रोकथाम की कार्ययोजनाओं में लागू किया गया। **8. वाहन प्रदूषण रोकथाम उपाये** i. **हल्के और भारी व्यवसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर शुल्क प्रभारित करना:** माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के दिनांक 16.12.2015 के आदेश के अनुपालन में दिल्ली आने वाले हल्के और भारी माल वाहक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार लगाया

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचना जारी की गई है और इसे परिवहन विभाग तथा एसडीएमसी द्वारा लागू किया जा रहा है।

ii. **ऑड-इवन स्कीम:** परिवहन विभाग ने 01.01.2016 से 15.01.2016 तक और फिर 15.04.2016 से 30.04.2016 तक और नवंबर 2019 में ऑड-इवन वाहन योजना लागू की।

iii. **सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में वृद्धि:** मौजूदा समय में दिल्ली के बस बेड़े (Fleet) में 6750 बसें हैं (3760 डीटीसी+2990 क्लस्टर बसें)। इसके अलावा लगभग 800 मिनी बसों और 174 मेट्रो फीडर बसों के जरिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तीन हजार (1311 बसें पहले से ही लगाई जा चुकी हैं) क्लस्टर बसों को लगाने का प्रस्ताव है और 1300 डीटीसी बसें परिचालित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

iv. **विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन:** दिल्ली विद्युत वाहन नीति को दिनांक 23.12.2019 के मंत्रिमंडलीय निर्णय द्वारा स्वीकृति दी गई। इससे बाद परिवहन विभाग ने 07.08.2020 को इसे अधिसूचित किया। नीति का उद्देश्य दिल्ली में विद्युत चालित वाहनों को तेजी से अपनाना है और इन वाहनों की चार्जिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सृजित करना है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए जाएंगे:

क. वित्तीय प्रोत्साहन- खरीद में प्रोत्साहन, पुराना वाहनों को बेचे जाने संबंधी प्रोत्साहन, ऋण पर ब्याज छूट।

ख. सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट।

ग. चार्जिंग केंद्रों और बैटरी अदला-बदली केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करना। इस बारे में अपेक्षित अधिसूचना जारी किया जाना अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विचाराधीन है। 30 अप्रैल 2021 तक 85 विद्युत वाहन केंद्र स्थापित किए गए हैं (ईवी पोर्टल "ev.delhi.gov.in" के अनुसार)।

घ. 04.02.2021को स्विच दिल्ली (Switch Delhi) अभियान शुरू किया गया। वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.02.2021 द्वारा विभिन्न विभागों /स्वायतशासी संस्थाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिए विद्युत वाहन अपनाया जाना अनिवार्य बनाया गया। इन विभागों के मौजूदा किराये के

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

		पेट्रोल /डीजल /सीएनजी वाहनों को 6 महीने की समयसीमा के भीतर लीज /किराये के वाहन मॉडल के जरिए विद्युत वाहनों में बदले जाने और पुराने वाहनों की जगह नए विद्युत वाहन खरीदे जाने को अनिवार्य बनाया गया। v. **यातायात प्रबंधन:** प्रमुख मार्गों पर आने-जाने वालों की सुविधा के लिए ट्रैफिक जाम और भीड़-भाड़ के दौरान मार्ग परिवर्तन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरू करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रमुख यात्रा मार्गों के 50 प्रमुख स्थलों पर 3G कनेक्टिविटी के साथ 50 वीएमएस (परिवर्तनीय संकेत चिन्ह) बोर्ड लगाए हैं। यातायात पुलिस मुख्यालय में इसके लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। वीएमएस बोर्ड के जरिए आने-जाने वालों को यातायात के संबंधित सूचना दी जाती है। 9. **गैर अनुरूप क्षेत्रों में उद्योग:** i. दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अनधिकृत /गैर कानूनी /गैर अनुरूप उद्योगों को बंद करने /स्थानांतरित करने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के एम.सी मेहता बनाम भारत सरकार और अन्य मामले में, डब्ल्यू पी (सी) संख्या 4677/1985 [2004 6एससीसी 588 के रूप में दर्ज] के दिनांक 07.05.2004 के आदेशों के अनुसार दिल्ली मास्टर प्लान में नहीं आने वाले उद्योगों / ईकाईयों को दिल्ली के गैर अनुरूप/ रिहायशी इलाकों में अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे उद्योग के खिलाफ सार्वजनिक अधिकरणों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ऐसी ईकाईयों को डीपीसीसी द्वारा वायु और जल अधिनियमों और खतरनाक अवशिष्ट नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई है। ii. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7.5.2004 के आदेश के कार्यान्वयन/लागू किए जाने के उद्देश्य से ये मुद्दा दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यालय में समय-समय पर होने वाली विभिन्न बैठकों में समाधान के लिए उठाया जाता रहा है। 6.6.2015 को मुख्य सचिव कार्यालय में हुई बैठक के अनुसार गैर अनुरूप/ रिहायशी इलाकों में संचालित और दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक गतिविधियों के खिलाफ विकास क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा और अन्य क्षेत्रों में

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

नगर-निगमों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

iii. उपरोक्त विषय को देखते हुए गैर अनुरूप /रिहायशी इलाकों में संचालित औद्योगिक/व्यवसायिक इकाईयों के खिलाफ संबंधित नगर-निगमों और उद्योग विभाग द्वारा कार्रवाई की गई ताकि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अधिदेश लागू किए जा सके। मास्टर प्लान के अनुसार **गैर-अनुरूप/रिहायशी** इलाकों में औद्योगिक/व्यवसायिक इकाइयों के संचालन की अनुमति नहीं है।

10. हरित दिल्ली ऐप:

हरित दिल्ली ऐप और जन शिकायतों के निपटान के लिए ग्रीन वॉर रूम की शुरूआत: हरित दिल्ली ऐप जन शिकायतों के एकल मंच से निपटान और सूचना तथा जागरूकता प्रसार के लिए विकसित किया गया है। दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से संबंधित विभिन्न अपराधों के संदर्भ में जन शिकायतों के निपटान के लिए 29.10.2020 को हरित दिल्ली ऐप का शुभारंभ किया। ग्रीन वॉर रूम की स्थापना दिल्ली सचिवालय में हरित दिल्ली ऐप पर अपलोड की गई शिकायतों की निगरानी के लिए की गई है। चौबीसों घंटे (24 x 7) कार्यरत यह वॉर रूम 70 ग्रीन मार्शल के नेटवर्क के जरिये विभिन्न शिकायतों की निगरानी और इनकी रोकथाम की पहल करेगा। यह ऐप शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाएगा। हरित दिल्ली ऐप का उद्देश्य वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों का दिल्ली की 28 एजेंसियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना है। ग्रीन वॉर रूम प्रत्येक शिकायत के समाधान की प्रक्रिया सरल बनाएगा।

29.10.2020 (ऐप की शुभारंभ तिथि) से 15.07.2021 तक कुल 22902 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 21733 (94.90%) का 15.07.2021 तक समाधान हो चुका है और 1169 (5.10 %) शिकायतें लंबित हैं।

11. स्मॉग टावर लगाना

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.01.2020 के आदेश के अनुपालन में आनंद विहार बस टर्मिनल और बाबा खड़ग सिंह मार्ग, क्नॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाए जाने हैं। इसके लिए जमीन तय कर ली गई है और आईआईटी बॉम्बे तथा आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर /विशेषज्ञों के साथ, समुचित प्रौद्योगिकी और डिजायन उपलब्ध कराने तथा समुचित निर्माण एजेंसी के चयन के बारे में

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

<table>
<tr><td></td><td></td><td>विचार-विमर्श किया गया ताकि जल्द से जल्द परियोजना की शुरूआत की जा सके। क्नॉट प्लेस में स्थल परियोजना कार्य शुरू हो चुका है। स्थल सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, लेआउट योजना की तैयारी, स्थल तैयारी, पेड़ों की कटाई और प्रतिरोपण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना अगस्त 2021 तक शुरू हो जाने की संभावना है।</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>अब तक एकत्रित किए गए ग्रीन सेस टैक्स की राशि, इसके लिए अब तक किए जा चुके खर्च और भविष्य में प्रस्तावित खर्च का विवरण;</td><td>कुल हरित उपकर संकलन 1439.65 करोड़ रूपए का हुआ है जिसे वायु परिवेश कोष और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के रूप में संकलित किया गया है। दिल्ली-मेरठ RRTS परियोजना, HCNG परियोजना, RFID परियोजना, ई-रिक्शा पंजीकरण के लिए वाहन मालिकों को सब्सिडी आदि पर 436 करोड़ 50 लाख 80 हजार रूपए का परिव्यय हुआ। भविष्य में दिल्ली विद्युत वाहन नीति और राज्य विद्युत वाहन कोष के क्रियान्वयन पर व्यय प्रस्तावित है।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद लगाए गए स्मॉग टावर, एंटी स्मॉग गन, डस्ट कलेक्टिंग मशीनों आदि की संख्या बताएं;</td><td>रिट याचिका सिविल 13029/1985 शीर्षक एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश, दिनांक 13.11.2019 के अनुपालन में बाबा खड़ग सिंह मार्ग, क्नॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर डीपीसीसी द्वारा स्थापित किया जा रहा है, दूसरा टावर सीपीसीबी द्वारा आईएसबीटी आनंद विहार में लगाया जा रहा है।

20 हजार वर्ग मीटर से अधिक के बिल्टअप क्षेत्र वाले 56 निर्माणाधीन स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। जबकि 60 मैकेनिकल रोड स्वीपर का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा सड़क से उड़ने वाली धूल के नियंत्रण के लिए किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>ङ</td><td>जैसा कहा गया था क्या उसके अनुरूप हेलीकॉप्टर से जल-छिड़काव का कोई प्रस्ताव है;</td><td>जी हां, प्रस्ताव पर विचार किया गया और विभिन्न विशेषज्ञों से संपर्क किया गया। परन्तु, प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि दिल्ली का अधिकांश क्षेत्र 'नो फ्लाईंग जोन' में आता है और हैलीकॉप्टर से जल-छिड़काव का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।</td></tr>
<tr><td>च</td><td>विगत पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में लगाए गए वृक्षों की संख्या; और</td><td>पिछले पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में लगाए गए वृक्षों की संख्या 'झाडियों और पौधों के निशुल्क वितरण सहित' इस प्रकार है:

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>रोपे गये पौधे</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2016-2017</td><td>24,75,665</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2017-2018</td><td>16,08,105</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2018-2019</td><td>28,95,816</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2019-2020</td><td>28,69,516</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2020-2021</td><td>32,40,822</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>छ</td><td>विगत पांच वर्षों के दौरान घोंडा विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए वृक्षों की संख्या क्या है?</td><td>पिछले पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में घोंडा निर्वाचन क्षेत्र में लगाए गए पेड़ों की संख्या :</td></tr>
</table>

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	रोपे गये पौधे
1	2016-2017	16,000
2	2017-2018	21,800
3	2018-2019	75,055
4	2019-2020	57,499
5	2020-2021	शुन्य
	कुल	1,70,354

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., Delhi